प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 09.10.2024

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा जिला बदर अपराधी गिरफ्तार।

आज दिनांक 09.10.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी समीर पुत्र शौकीन निवासी ग्राम हृदयपुर भण्डौला थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष को ग्राम हृदयपुर भण्डौला थाना भोजपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 23.04.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

समीर पुत्र शौकीन निवासी ग्राम हृदयपुर भण्डौला थाना भोजपुर गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष।

अपराधिक इतिहास /पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त के विरूद्ध थाना भोजपुर पर गौवध अधिनियम के 03 अभियोग पंजीकृत है तथा धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.10.2024 को वादी द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक तहरीर दी गई कि अभियुक्त विजयपाल (पीड़िता का फूफा) द्वारा वादी की भांजी के साथ छेडछाड करना व उसके साथ दुष्कर्म करना तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विजयपाल को बागू अन्डरपास के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि जब पीड़िता करीब 07 वर्ष की थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गयी थी और उसका पिता जेल चला गया था तो उसकी देखभाल व पालन पोषण करने वाला कोई नही था इसलिए मैं अपनी पत्नी के कहने पर पीडिता को अपने घर ले आया था और मौका पाकर मैंने उसका कई बार शारीरिक शोषण किया।

अभियुक्त का नाम/पता -

विजयपाल (पीड़िता का फूफा), उम्र करीब 47 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.10.2024 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी कि अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र पीतम सिंह निवासी विकास नगर अंकुर विहार गाजियाबाद द्वारा वर्ष-2016 से शादी का झांसा देकर वादिया का यौन शोषण करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम को गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 08.10.2024 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सचिन कुमार पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ईदगाह के पास, विकास नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को आरडीसी कट गाजियाबाद के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं और पीड़िता वर्ष 2016 से कॉलेज टाईम से एक दूसरे को जानते हैं तथा हम साथ-साथ कॉम्पटीशन की भी तैयारी कर रहे थे उसी दौरान वर्ष 2023 में मेरा चयन उ0प्र0 पुलिस में उ0नि0 के पद पर हो गया था। मैं पूर्व से पीड़िता के साथ शादी करने का वादा करके उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता आ रहा हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सचिन कुमार पुत्र प्रीतम सिंह निवासी ईदगाह के पास, विकास नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास / पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा जबरदस्ती हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने व गाली गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी देना व गर्भपात कराने में शामिल वाँछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनांक 19.09.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि ताहिर खान पुत्र सलीम खान व उसके परिवार वालो ने वादिनी के साथ धोखे से अभियुक्त उस्मान खान का नाम

आयुष्मान बदलकर वादिनी से शादी कर लेना तथा वादिनी को जबरदस्ती हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने का दबाब बनाकर वादिनी के साथ गाली गलौच मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना व वादिनी का गर्भपात करा देने के संबंध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 04.10.2024 को अभियुक्त ताहिर खान पुत्र सलीम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। परिवार के अन्य व्यक्ति वाँछित चल रहे जिनसे से 01 अभियुक्त जुवैर खान पुत्र सलीम खान नि0 म0नं0- 214 ए चुन्गी नं0- 2 लाल कुआं थाना पुल प्रहलादपुर, दिल्ली हाल नि0 फिरोजपुर झिरका,नूँह हरियाणा उम्र करीब 29 वर्ष व 01 अभियुक्ता को मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 08.10.2024 को तिजारा रोड़, थाना फिरोजपुर झिरका नूँह हरियाणा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:</u>

- जुवैर खान पुत्र सलीम खान नि0 म0नं0- 214 ए चुन्गी नं0- 2 लाल कुआं थाना पुल प्रहलादपुर, दिल्ली हाल नि0 फिरोजपुर झिरका,नूँह हरियाणा उम्र करीब 29 वर्ष
- 01 अभियुक्ता

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:</u>

- थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

- दिनांक 22.09.2024 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त आदिल पुत्र याकूव निवासी आसियाना सिटी थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी सौरम गोला थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर द्वारा उसकी नाबालिक पुत्री को घर में बुलाकर उसके साथ छेड़खानी करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। विवेचना के दौरान उपरोक्त अभियोग में साक्ष्य संकलन व पीड़िता के ब्यान के आधार पर दुष्कर्म की घटना का होना पाया गया जिसमें तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा धारा वृद्धि करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।
- तत्पश्चात आज दिनांक 09.10.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आदिल पुत्र याकूव निवासी आसियाना

सिटी थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी सौरम गोला थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर को चौकी क्षेत्र कस्बा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

- **पूछताछ का विवरण –**
- अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि वादिया मेरे घर के पास रहती थी जिसकी नाबालिग पुत्री को मैंने बहाने से अपने घर बुलाया तथा मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये ।
- **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -**
- आदिल पुत्र याकूब निवासी आसियाना सिटी थाना लोनी गाजियाबाद मूल निवासी सौरम गोला थाना शाहपुर जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 25वर्ष ।
- **आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –**
- अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।
- **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-**
- थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार। उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 15 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरोध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई।

आज दिनांक 09.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 02 अभियुक्तों 1. सुहेल मलिक पुत्र शमशाद निवासी वार्ड नं0 3, मौहल्ला पुरानी पैठ डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 2. अवैश कुरैशी पुत्र मेहराजुद्दीन निवासी वार्ड नं0 11, मौहल्ला पुरानी पैंठ डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।
उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने रोष में आकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमें समझाया व रोका गया परन्तु हम नहीं माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. सुहेल मलिक पुत्र शमशाद निवासी वार्ड नं0 3, मौहल्ला पुरानी पैठ डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

2. अवैश कुरैशी पुत्र मेहराजुद्दीन निवासी वार्ड नं0 11, मौहल्ला पुरानी पैंठ डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के माल को बेचकर अर्जित किये गये 1950/- रुपये, बरामद।

दिनांक 18-07-24 को वादिया गरिमा पुत्री सत्यवीर निवासी द्वारका सेक्टर दिल्ली ने सूचना दी कि मेरी कार जिसमें ग्रे कलर का बैग जिसमें लेपटाप, आईपेड व चार्जर व एक पर्स जिसमें डेबिट कार्ड, वोटर आईडी, 01 गोल्ड रिंग, 02 सिल्वर रिंग आदि को अज्ञात चोर द्वारा शीशा तोडकर चोरी कर लिया गया है, उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 08-10-2024 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा वीकेण्ड तिराहा राजनगर एक्सटेंशन के पास से 02 शातिर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया , जिसके कब्जे से 1950/- रुपये बरामद हुए है। अभि0गण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम व पता--

1. मुखलाल उर्फ मुकेश पुत्र श्री रामकेवल निवासी ग्राम शाहबाद चक थाना पटरंगा जनपद अयोध्या हालपता प्रदीप प्रजापति के मकान मे गली न0 03 खाटू श्याम कालोनी दुहाई थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 42 वर्ष। ।

2. दीपक उर्फ जगदीश पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह निवासी सरस्वती बिहार फेस 1 गली न0 04 विकास नगर थाना नन्दग्राम गाजियाबाद मूलपता ग्राम कन्नपुर थाना टीकमगढ जनपद टीकमगढ मध्यप्रदेश उम्र 34 वर्ष।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभि0 मुखलाल उर्फ मुकेश के विरुद्ध कमि0 गाजियाबाद व जनपद मेरठ में कुल 43 अभियोग पंजीकृत है।
अभि0 दीपक उर्फ जगदीश उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम कमि0 गाजियाबाद पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम दोनो मिलकर छोटी मोटी चोरी करके अपना खर्चा चला लेते है। हम दोनो ने दिनांक 15.07.2024 को शाम के समय वीवीआईपी मंगल सोसायटी के पास खडी कार से शीशा तोडकर एक बैग व एक पर्स चोरी किये थे जिसमे 01 लैपटाप,01 आईपैड,01 अगूठी सोने की,01 अगूठी चादी की तथा एटीएम कार्ड व गाडी की आरसी आदि निकले थे तथा उसी दिन स्पोर्ट लाईट माल के पास खडी कार से शीशा तोडकर एक बैग चोरी किया था जिसमे एक लैपटाप चार्जर आदि निकले थे लैपटाप,आईपैड,सोने की अगूठी व चाँदी की अगूठी दिल्ली मे बेच दिये थे कहा बेचे थे

जगह हमे याद नही है और बाकी सामान दिल्ली मे ही फेक दिये थे। हमसे से जो रुपये बरामद हुये है ये गाडियो से शीशा तोडकर चोरी किये गये सामान को बेच कर प्राप्त हुये रुपयो मे से बचे हुये रुपये है।

बरामदगी का विवरण—

चोरी किये माल को बेचकर अर्जित किये गये 1950/- रूपये बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम ।